2025:CGHC:46726

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 2420/2019

विजय शरण सिंह, पिता जानकी शरण, आयु लगभग 58 वर्ष, व्यवसाय: कृषि निरीक्षक, निवासी– ट्यूटर कॉलोनी, अग्रसेन वार्ड नगर, थाना एवं तहसील– अंबिकापुर, जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़।

–– याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1– राम कुमार, पिता शिवनाथ, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी: मोहोल केतरा, थाना: प्रतापपुर, जिला: सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

2– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट अंबिकापुर, जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़।

.....उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री देव आशीष बिस्वास, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से : श्री डी.एन. प्रजापति, अधिवक्ता

उत्तरवादी–राज्य/क्रमांक 2 की ओर से : श्री संजीव पाण्डेय, उप–महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू

बोर्ड पर आदेश

12/09/2025

1. यह याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर (सूरजपुर) (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 6/2019 में दिनांक 08.08.2019 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण को खारिज कर दिया है और परिवाद प्रकरण क्रमांक 13/2017 में दिनांक 23.01.2017 को पारित आदेश की पुष्टि की है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर ने परिवाद दर्ज किया था और अनावेदक/याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रक्रिया जारी की थी।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 उनके अधीन उद्यानिकी विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। उन्होंने तर्क किया कि उस अवधि के दौरान कुछ विवाद हुआ था और आरोपों के अनुसार, उत्तरवादी का अपहरण करने का प्रयत्न किया गया और उससे फिरौती की मांग की गई, यद्यपि, गांव के सरपंच के कहने पर, परिवादी/उत्तरवादी क्रमांक 1 को

बचा लिया गया। इसके अतिरिक्त लैंगिक उत्पीड़न के आरोप भी लगाए गए थे, जो अनुलग्नक पी–3 का भाग हैं, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जारी निर्देश पर पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि परिवाद में पूर्णतः झूठे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने जांच करने के दौरान साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए हैं और वह भी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भाग है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विषय–वस्तु और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथनों का उचित विवेचना नहीं किया है और परिवाद दर्ज करने तथा प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित किया है जो कि स्वतः ही संधारणीय नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि परिवाद दर्ज करने में विलंब हुआ है। शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की मांग का आरोप वर्ष 2006 का है, जबकि परिवाद केवल दिनाँक 24.02.2014 को प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और यह तर्क किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन प्रस्तुत परिवाद आवेदन में, परिवादी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता/अनावेदक ने शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर 80,000/– रुपये की मांग की थी, यद्यपि लंबे समय तक वह किसी न किसी कारण से आश्वासन देता रहा, तत्पश्चात् उसने परिवादी से किए गए वादे को पूरा करने और पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। इससे व्यथित होकर, परिवादी ने संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद परिवादी ने उच्च पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया, किंतु जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तब परिवाद प्रस्तुत किया गया। उन्होंने तर्क किया कि परिवाद दर्ज करने और प्रक्रिया जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट द्वारा केवल परिवाद आवेदन की विषय–वस्तु और परिवाद के समर्थन में परीक्षित साक्षियों के कथनों पर ही विचार किया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने **नुपुर तलवार विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली व एक अन्य**, **(2012) 2 एससीसी 188** में प्रकाशित के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवाद की विषय–वस्तु और परिवाद के समर्थन में दर्ज किए गए साक्षियों के कथनों की विवेचना करने के उपरांत, पहले ही संज्ञान ले लिया है और याचिकाकर्ता को प्रक्रिया जारी कर दी है। याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच के दौरान बचाव के सभी आधार उठा सकते हैं।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. अनुलग्नक पी– 2 के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत परिवाद की प्रति है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि वह अनावेदक क्रमांक 1/याचिकाकर्ता के अधीन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, जो खोरामा तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर कार्यालय में अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। दैनिक वेतन का भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा किया जा रहा था। याचिकाकर्ता ने उसे भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा और इसके बदले में 80,000/– रुपये जमा करने को कहा, जिसका भुगतान याचिकाकर्ता को नकद में किया गया था। कुछ समय तक, परिवादी को शासकीय नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया, किंतु बाद में याचिकाकर्ता/अनावेदक ने नौकरी देने से मना कर दिया और पैसे वापस करने से भी इनकार कर दिया। परिवाद के समर्थन में, परिवादी ने स्वयं का साक्षी क्रमांक 1 के रूप में, शिवनाथ का साक्षी क्रमांक 2 के रूप में और भगीरथी का साक्षी क्रमांक 3 के रूप में परीक्षण कराया है। भगीरथी एक स्वतंत्र साक्षी है।

7. विद्वान मजिस्ट्रेट ने परिवाद/आवेदन में किए गए अभिवचनों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथनों पर विचार करते हुए परिवाद दर्ज किया है और प्रक्रिया जारी की है। परिवाद दर्ज करने के चरण में, न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह परिवाद में लगाए गए आरोपों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन परिवाद के समर्थन में दर्ज साक्षियों के कथनों का परिशीलन करे और यदि मजिस्ट्रेट/न्यायालय को समाधान होता है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है, तो वह परिवाद दर्ज करेगा और प्रक्रिया जारी करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नुपुर तलवार (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में यह अवधारित किया है कि मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि वह ठोस न्यायिक विवेक का प्रयोग करे और अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं सामग्रियों पर अपने विवेक का प्रयोग करे। ऐसा करते समय, मजिस्ट्रेट विवेचना अधिकारी के अभिमत से बाध्य नहीं है और वह पुलिस द्वारा अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचारों के बावजूद अपना विवेक प्रयोग करने के लिए सक्षम है, और प्रथम दृष्ट्या यह ज्ञात कर सकता है कि कोई अपराध बनता है या नहीं। संज्ञान लेने का अभिप्रेत उस समय बिंदु से है जब कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का न्यायिक संज्ञान लेता है, जो प्रतीत होता है कि किया गया है, ताकि उस अपराध के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। अपराध का संज्ञान लेने के चरण में, न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि क्या प्रथम दृष्ट्या प्रक्रिया जारी करने के कारण मौजूद हैं और क्या अपराध के घटक अभिलेख पर उपलब्ध हैं।

9. इस न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क केवल मजिस्ट्रेट के निर्देश पर पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित

किया गया है, मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करे और स्वतंत्र रूप से उनका परीक्षण करे कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं।

10. उपरोक्त विश्लेषण और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, मेरा यह अभिमत है कि इस स्तर पर,अनावेदक/याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए बचाव पर विचार न किया जाए। अनावेदक/याचिकाकर्ता उचित स्तर पर मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच के दौरान उसे उपलब्ध सभी आधारों को उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. पूर्वगामी विश्लेषण के आधार पर, मुझे पुनरीक्षण न्यायालय और साथ ही मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिलता है ।

12. फलस्वरूप, इस याचिका में कोई सार नहीं है एवं तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

सही/–

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**